न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1974–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–05–2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 05/2011–12/स्व0निग0

.....

धर्मवीर पुत्र श्री ब्रिजेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम लीटापुरा तहसील डबरा
जिला ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री राजेन्द्रसिंह
2–श्रीमती भागवती पत्नी श्री फूलसिंह
3–श्रीमती रामाबाई पत्नी श्री देवेन्द्रसिंह
समस्त निवासीगण ग्राम लीटापुरा तहसील डबरा
जिला ग्वालियर म0प्र0
4–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्री ओ.पी.शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक क्र.1 से 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/4/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–05–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी डबरा द्वारा कलेक्टर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार डबरा द्वारा प्रकरण कमांक 40/1988–89/अ–19 में दिनांक 29–04–1989 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में ग्राम लीटापुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 143 मिन रकबा 0.836 हेक्टेयर नवीन सर्वे कमांक 354 रकबा 0.384 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 173 मिन रकबा 0.532 हेक्टेयर नवीन सर्वे कमांक 403 रकबा 0.52 हेक्टेयर

एवं सर्वे कमांक 175 रकबा 0.105 हेक्टेयर नवीन सर्वे नम्बर 417 रकबा 0.11 हेक्टेयर का व्यवस्थापन स्वीकृत किया गया था । आवेदक पट्टागृहीता द्वारा सर्वे नम्बर 354 रकबा 0.86 हेक्टेयर भूमि का विकय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया गया है । कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 165(7 ख) का उल्लघंन पाते हुये संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 31–05–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 29–04–1989 निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा एक सर्वे कमांक का विकय किया गया था, परन्तु कलेक्टर द्वारा सम्पूर्ण भूमि का व्यवस्थापन निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता में हुये संशोधन के फलस्वरूप चूँकि आवेदक को 10 वर्ष पूर्व पट्टा दिया गया था, इसलिये उसे भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के कारण विकय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा 24 वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है जो कि अत्यधिक विलम्बित है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्र. 1 लगायत 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्को को समर्थन दिया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 29–4–1989 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों का पट्टा आवेदक को दिया गया था । पटटे की भूमि का विकय संहिता की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं किया जा सकता है, परन्तु आवेदक द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के भूमि का विकय किया गया है । इस कारण जहाँ संहिता की धारा 165(7–ख) का उल्लंघन हुआ है, वहीं पटटे की शर्तो का भी उल्लघंन हुआ है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा तहसील

न्यायालय के प्रकरण कमांक 40/1988–89/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 24–9–1989 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि आवेदक द्वारा उसकी प्रश्नाधीन भूमि में से कुछ रकबे का ही विकय किया गया था, परन्तु कलेक्टर द्वारा सम्पूर्ण भूमि का व्यवस्थापन निरस्त करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि आवेदक द्वारा स्पष्टतः पटटे की शर्तो का उल्लघंन किया गया है, इसलिये सम्पूर्ण व्यवस्थापन ही निरस्त होगा । आवेदक की ओर से कलेक्टर सहित इस न्यायालय में ऐसा कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है कि 10 वर्ष पूर्व पटटा दिया गया था तो विकय के लिये सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यक नहीं है, इसलिये इस संबंध में भी उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क अमान्य किये जाने योग्य है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–05–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 2381–पीबीआर/2012 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण के साथ संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर